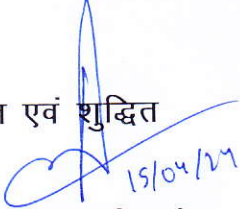
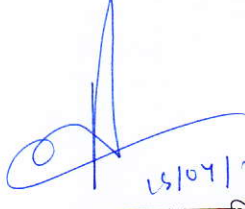


ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर० एम० वाद सं०-101/2017-18

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
15-04-24	आदेश प्रस्तुत आर० एम० वाद संख्या-101/2017-18 आवेदक-राजो मियां, पिता-स्व० आशो मियां, साकिन-दसियोडीह, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर के द्वारा मौजा-दसियोडीह, थाना नं०-322, गैरमजरूआ खाता के दाग नं०-94, रकवा-13 कट्टा जमीन वर्ष 1975 में प्रधानी पट्टा द्वारा प्राप्त बन्दोवस्ती को सम्पुष्ट एवं लगान धार्य करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। 02. आवेदक द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। दाखिल कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा-दसियोडीह, थाना नं०-322, गैरमजरूआ खाता के दाग नं०-94, रकवा-13 कट्टा जमीन वर्ष 1975 में प्रधानी पट्टा द्वारा प्राप्त है। समय के इस लम्बे अन्तराल के उपरान्त इन कागजातों के आंधार पर ऐसी कार्रवाई का न तो कोई औचित्य और न ही यह विधिमान्य है। 03. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के W.P.C. No.-2108/2007 में दिनांक-03/28.01.2008 को पारित आदेश एवं उपायुक्त, देवघर के आदेश ज्ञापांक-1488/रा०, दिनांक-27.11.2008 में दिये गये निदेश के आलोक में पट्टा द्वारा प्राप्त भूमि बन्दोवस्ती की सम्पुष्टि करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।  लेखापित एवं शुद्धित अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।  अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।	